न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1601

1. जवाहरसिंह पुत्र नारायणसिंह, निवासी जाखड़ कॉलोनी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
2. सुभाष पुत्र श्री नारायणसिंह, निवासी गौडावास तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
3. सिणगार देवी पत्नि स्व0 नरेन्द्रसिंह निवासी गौडावास हाल निवासी मार्फत चौधरी दवाखाना, शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. गोपीराम पुत्र स्व0 नरेन्द्र सिंह निवासी गौडावास हाल निवासी मार्फत चौधरी दवाखाना, शाहपुरा, जिला जयपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुशीला देवी पत्नि श्री पी.डी. चौधरी पुत्री नारायण सिंह जाति जाट निवासी जाखड कॉलोनी, नीमकाथाना जिला सीकर।
2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री नारायण सिंह पत्नि ईश्वर सिंह निवासी गौडावास हाल निवासी जयपुर।
3. श्रीमती राजबाला पुत्री नारायणसिंह पत्नि शिशुपालसिंह निवासी गौडावास हाल निवासी एल.एस. नगरयाखेड़ा, जयपुर।
4. तहसीलदार तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
5. ग्राम पंचायत गौडावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत।

— अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस

6. मु. विद्या देवी पुत्री नारायणसिंह निवासी गौडावास हाल निवासी सिंघाना तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
7. मु. सरला पुत्री नारायणसिंह पत्नि अमरसिंह निवासी गौडावास हाल निवासी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

— प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 16.05.2025 प्रकरण अपील संख्या 26/2011 उनवानी सुशीला देवी व अन्य बनाम जवाहरसिंह व अन्य में विरासत के नामान्तकरण को विवादित मानते हुए खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री महेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री भौरीलाल शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 व 7 बाद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 26.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.05.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 11.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष एक अपील नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गौडावास, दिनांक 26.04.1974 को निरस्त किये जाने तथा मृतक पिता नारायणसिंह की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाये

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर.

जाने हेतु पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा अपीलार्थीयागण की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गौडावास दिनांक 26.04.1974 को विवादित मानते हुए खारिज किये जाने तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गोडावास दिनांक 26.04.1974 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधि सम्मत पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित किये गये।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 16.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2025 को निरस्त किये जाने व अपीलार्थीगण के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 126 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2025 माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया गया अतः उपर्युक्त आदेश इस न्यायालय द्वारा निरस्त फरमाया जावे। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज किया गया नामान्तकरण 39 वर्ष पश्चात अपने आदेश द्वारा खारिज किया है, जो कि विधि विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विनिश्चि चिरंजीलाल बनाम अतिरिक्त जिलाधिश व अन्य में अवधारित किया है कि जहां किसी विधि में किसी आदेश की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की है वहां आर्टिकल 137 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत 3 वर्ष की परिसीमा निर्धारित की गई है। परन्तु न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का न तो अवलोकन किया गया और न ही अपीलार्थी के कथनों को दृष्टिगत किया। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक की पुत्रीयां भी पुत्र के साथ प्रथम श्रेणी में आती है। परन्तु उक्त प्रावधान उसके लागू होने की तिथि से ही अस्तित्व में आयेगा व उसके अनुसार ही मृतक की पुत्रीयां उसकी सम्पत्ति में बतौर उत्तराधिकारी हिस्सा ग्रहण करेगी। उक्त प्रावधान सन् 1993 से अस्तित्व में आया अतः इससे पूर्व के मामलों में जिनमें नामान्तकरण मृतक के पुत्रों के पक्ष में दर्ज हो गया है मृतक की पुत्रीयां उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति की अधिकारिणी नही होगी। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित करते समय उक्त प्रावधानों का सही रूप में अवलोकन नहीं किया। अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 26.04.1974 को उनके पिता की मृत्यु होने के पश्चात मौखिक पारिवारिक समझौते के अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि उपरोक्त नामान्तकरण 39 वर्ष पश्चात आक्षेपित किया गया है। परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपीलार्थीगण के उपर्युक्त कथन पर कोई गौरन नहीं किया व मनमाने तरीके से अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण खारिज कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने विनिश्चय में (चिमन लाल बनाम राजस्थान राज्य) में यह अवधारित किया है कि जब किसी विधि में किसी कार्यवाही के संबंध में कोई लिमिटेशन निर्धारित नहीं की गई है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी भी वक्त किसी कार्यवाही को आक्षेपित कर सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थीगण के पक्ष में सन् 1974 में नामान्तकरण दर्ज हो गया था उसके 39 वर्ष पश्चात उपर्युक्त

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामांतकरण अप्रार्थीगण द्वारा चैलेन्ज किया गया है इसके उपरान्त भी न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में जारी नामान्तकरण को खारिज कर दिया गया है। अतः न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त विनिश्चत के विपरित है व इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

माननीय न्यायलय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपील में विपक्षीगण की तामील पूरी नहीं हुई थी अतः उपर्युक्त कृत्य से विपक्षीगण को किसी कार्यवाही में खुद के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भाग लेना के अधिकार का हनन हुआ है। अतः उपर्युक्त कारण से भी यह प्रतीत होता है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश विधि के सिद्धांतों की अनुपालन करते हुये पारित नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विनिश्चय में यह अवधारित किया है कि **(Chiranji Lal Versus Additional Collector and Others)** In my cons considered opinion when the revisional jurisdiction of the state Government U/s 97 of 1994 Act. is invoked, unexplained delay Coupled with the creation of 3rd party rights in the meanwhile is an important factor which always weighs with the revisional authority in deciding whether or not to excise such jurisdiction. Thus when there was considerable delay of more than 39 years coupled with creation of the petitioner's rights over the land in question, in filing the revision petition challenging the order of issuance of Patta by Gram Panchayat, this circumstances would **be sufficient to disentitled the respondent No-4 to relief U/s 97 of 1994 Act. discretion the excise Consequently additional collector No.3 Jaipur after a period of more than 39 years in cancelling the patta issued in favour of the petitioner by Gram Panchayat Hingonia, is arbitrary and violative of the article 14 of the constitution of India.** इस प्रकरण में भी अपीलार्थीगण के पक्ष में सन् 1975 में दर्ज किया गया नामान्तकरण 39 वर्ष पश्चात आक्षेपित व खारिज किया गया है अतः उक्त विनिश्चय इस प्रकरण पर लागू होता है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के विपरित होने के कारण खारिज होने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय परिसीमा अधिनियम की धारा 137 को दृष्टिगत नहीं रखा। धारा 137 में यह प्रावधान है कि That Article 137 of the limitation Act. 1963 applies to those application for which no period of limitation has been provided elsewhere. The period prescribed is three years, which is to commence when the right to apply accrues. In Kerala State Electricity Board Versus T.P. Kunhaliumma it was indicated by their lordships of the supreme Court that article 137 would apply to any petition or application filed under any special Act. to a Court. इस प्रकरण में अपीलार्थीगण के पक्ष में सन् 1975 में नामान्तकरण दर्ज किया गया था जिसको विपक्षीगण द्वारा 39 वर्ष पश्चात आक्षेपित किया गया। अतः आर्टिकल 137 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत उक्त नामान्तकरण को तीन वर्ष की परिसीमा अवधि में विपक्षीगण द्वारा चुनौती दी जानी चाहिए थी इसके साथ ही विपक्षीगण द्वारा इतने वर्ष पश्चात नामान्तकरण को चुनौती देने के संबंध में देरी के लिए उपर्युक्त कारण नहीं दर्शाया है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

आवेदकगण एक गरीब कृषि पैशा व्यक्ति है जिसको कानूनी मुकदमे बाजी की इतनी जानकारी नहीं है आवेदकगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उपखण्ड अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुआ जिसके निर्णय के संबंध में आवेदकगण को अपने अधिवक्ता द्वारा सूचित नहीं किया गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 24.07.2025 को विपक्षीगण से जानकारी मिली तब जाकर उसने अपने अधिवक्ता को टेलीफोन किया व मुकदमे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि फैसला आपके खिलाफ हो गया उसके पश्चात अपीलार्थी अपने

अधिवक्ता से मूल निर्णय की प्रतिलिपि लेकर जयपुर में अधिवक्ता से अपील फाईल करने हेतु मिला व उनको अपील करने के लिए कहा। इसी प्रक्रिया में अपील फाईल करने की मियाद निकल गई। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अगर स्वीकार किया जाता है तो किसी भी पक्षकार के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदकगण द्वारा मियाद अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार करने पर किसी भी पक्षकार के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किये जाने की कृपा करें। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि इस अपील को स्वीकार फरमाया जावे व आक्षेपित आदेश दिनांक 16.05.2025 को निरस्त फरमाने की कृपा करें व अपीलार्थीगण के पक्ष में दर्ज नामान्तकरण संख्या 126 को यथावत रखा जावे।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ख. नं. 331 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 499 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम गौडावास तहसील नीमकाथाना में स्थित हैं जिसकी खातेदारी हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 के पिता नारायणसिंह के नाम हिस्सा अनुसार दर्ज थी जिनकी मृत्यु सन् 1973 में हो गयी थी तत्पश्चात हाल अपीलान्ट्स ने कतई विधि, अनुचित व अन्यायपूर्ण तरीकों से पटवारी व ग्रा. पं. से साज करके बाला–बाला विरासत का नामान्तकरण अपने अकेले के नाम खुलवा कर तस्दीक करवा लिया जबकि मृतक नारायणसिंह की मृत्यु के बाद उनके समस्त विधिक वारिसान हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 व 6, 7 जो मृतक नारायणसिंह की जायन्दा पुत्रीयां हैं के नाम भी खोलना चाहिये था, मृतक नारायणसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की अन्य भूमियां भी थी जिनका विरासत का नामान्तकरण संख्या 145 भी हाल अपीलान्ट्स ने कतई गलत व अवैध तरीकों से अपने नाम पर खुलवाकर तस्दीक करवा लिया था जिसका मालूम पडने पर हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में ही अपील प्रस्तुत की तथा बाद सुनवायी दिनांक 06.06.2011 को हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 145 निरस्त कर दिया गया है किन्तु नामान्तकरण संख्या 126 के बाबत हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 को जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष एक अपील नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गौडावास, दिनांक 26.04.1974 को निरस्त किये जाने तथा मृतक पिता नारायणसिंह की विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाये जाने बाबत् पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रार्थीयागण की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गौडावास दिनांक 26.04.1974 को विवादित मानते हुए खारिज किये जाने तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गोडावास दिनांक 26.04.1974 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधि सम्मत पारित किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 04 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24.07.2025 को होते ही नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 499 रकबा 13 बीघा वाके ग्राम गौडावास, तहसील नीमकाथाना में स्थित है जिसकी खातेदारी हाल अपीलान्टस् व हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 7 के पिता नारायणसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। नारायणसिंह की मृत्यु होने जाने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गौडावास द्वारा दिनांक 26.04.1974 को हाल अपीलान्ट संख्या 1, 2 व अपीलान्ट संख्या 3 के पति व अपीलान्ट संख्या 4 के पिता के नाम तस्दीक किया गया को लेकर है। जिसके विरूद्ध मृतक नारायण सिंह की पुत्रियों द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गोडावास दिनांक 26.04.1974 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गोडावास दिनांक 26.04.1974 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मे दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के पर निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये है।

हमारा विनम्र मत है कि विवादित भूमि खातेदार नारायण सिंह के नाम दर्ज थी। नारायण सिंह की मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत गौडावास द्वारा दिनांक 26.04.1974 को हाल अपीलान्ट संख्या 1, 2 व अपीलान्ट संख्या 3 के पति व अपीलान्ट संख्या 4 के पिता नरेन्द्र सिंह के नाम तस्दीक किया गया और हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 6 व 7 अर्थात पुत्रियां को छोड़ दिया गया। विवादित भूमि पैतृक भूमि थी जबकि नारायण सिंह की पुत्रियां भी नारायण सिंह की उत्तराधिकार के आधार पर वारिस की श्रेणी में आती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों के अधिकार विवादित भूमि में जन्म से ही है। पुत्रियॉ भी पुत्र के समान जन्म से पैतृक सम्पति में हकदार है और उनको धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनको प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी को मध्यनजर रखकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.05.2025 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गोडावास दिनांक 26.04.1974 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 126 ग्राम पंचायत गोडावास दिनांक 26.04.1974 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मे दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के पर निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थीगण की

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपील अपीलान्टस् सारहीन व वलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर